कृपया प्रकाशनार्थ **24 जून 2009**

डिजल पर फिर से रियायत न मिली तो मछुआरे आंदोलन करेंगे : राम नाईक

मुंबई, बुधवार : केंद्रिय कृषि मंत्री श्री शरद पवार मछुआरों का ख्याल नहीं कर रहे है. डिजल पर मिलनेवाली जो रियायत उन्होने बंद कर दी है, वह आनेवाले बजट में फिर से शुरु नही की तो मछुआरे आंदोलन करेंगे, ऐसी चेतावनी पूर्व पेट्रोलियम मंत्री श्री राम नाईक ने दी है. मछुआरों की माँगों का श्री शरद पवार को आवेदन देने के लिए श्री राम नाईक तथा अन्य भाजपा नेता नई दिल्ली गये थे. तब श्री पवार के विदेश जाने की वजह से माँग पत्र पर कृषि मंत्रालय के सहसचिव श्री तरुण श्रीधर ने प्रतिनिधी मंडल से चर्चा की. प्रतिनिधी मंडल में श्री नाईक के साथ भाजपा- मुंबई के अध्यक्ष व विधायक श्री गोपाळ शेट्टी तथा उपाध्यक्ष श्री रमेश मेढेकर भी थें.

मछुआरों को रियायत के तौर पर वाजपेयी सरकार डिजल की एक्साईज ड्यूटी पर रु. 1.50 की छूट दे रही थी. श्री शरद पवार ने यह सहुलियत छीन ली है, ऐसी आपत्ती उठाते हुए श्री नाईक ने कहा," छोटे मछुआरों को बढावा देने के लिए उनकी नौकाओं को लगनेवाले डिजल की एक्साईज ड्युटी पर यह छूट दी जाती है. चूँकी अब डिजल और भी महंगा हुआ है तथा मत्स्य उत्पादन में भी अकाल हुआ है यह रियायत प्रति लिटर रु. 4/- तक बढाने की माँग मछुआरे कर रहे थे. कृषि मंत्रालय ने 19 फरवरी 2009 को यह रियायत रु. 3/- तक बढाने का आदेश जारी किया. मगर असल में यह रियायत छीन ली गयी क्योकि नए आदेश में यह रियायत मात्र गरीबी रेखा के निचे के मछुआरों को ही देनी ऐसा कहा गया है. क्या गाँवों में प्रति माह रु. 362.25 तक तो शहरों में प्रति माह रु. 665.90 आमदनीवाला ऐसा मछुआरा होगा जिसके पास डिजल पर चलनेवाली नौका भी होगी? ऐसा पुछते हुए श्री नाईक ने कृषि मंत्री को चुनौती दी है कि वे ऐसा मछुआरा संपूर्ण देश में एक तो दिखाएं. मछुआरे चाहते हैं की इस आदेश को वापस लेकर उन्हे रु. 4/- की रियायत मिलें ऐसा श्री नाईक ने की है.

समुद्र में मछली पकड़ने का काम कृषि कार्य ही माना जाता है . इसलिए यह कृषि मंत्रालय के अंतर्गत आता है. किसानों की तरह मछुआरों को भी राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) से चार प्रतिशत की व्याज दर से कर्ज उपलब्ध होना चाहिये ऐसी मांग भी मछुआरों के शिष्ट मंडल ने श्री राम नाईक के माध्यम से फरवरी 2009 में की थी. प्रत्यक्ष चर्चा के दौरान इस मांग पर श्री शरद पवार की भूमिका सकारात्मक थी. परंतु अब श्री पवार ने सलाह दी कि मछुआरों को उनकी सहकारी संस्थाओं से कर्ज लेना चाहिये. इन संस्थाओं को एनसीडीसी बाजार भाव से कर्ज उपलब्ध कराती है. वास्तव में मछुआरों की इस मांग को उन्होंने सिरे से नकार दिया है. मछुआरों की इस माँग पर पुनर्विचार करने की माँग प्रतिनिधी मंडल ने की है.

समुद्र के पूर्ण आर्थिक क्षेत्र में (एक्सक्लूझिव इमॉनामिक झोन - ईईझेड) परिचालन के लिए फिलहाल कोई भी नियम या कानून अस्तित्व में नहीं है. इस क्षेत्र में भी कानून का राज हो इसलिए नया कानून बनाये जाने की मांग भी मछुआरों के संगठनों ने की थी. हाल ही में मुंबई में हुए आतंकवादी हमले के बाद तो कम से कम इस मांग की गंभीरता कांग्रेस सरकार को समझ में आनी चाहिये थी. परंतु इस विषय में लगातार प्रयत्न किये जाने के बावजूद अभी तक सिर्फ इस संबंध में कानून बनाये जाने के लिए विभिन्न मंत्रालयों के बीच विचार-विमर्श चलने की जानकारी कृषि मंत्रालय के सहसचिव ने दी. आनेवाले संसद सत्र में यह विधेयक प्रस्तुत करने की माँग भी श्री राम नाईक ने की है.

(कार्यालय मंत्री)